न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 02/2017 अपील
पंजीयन दिनांक – 23–01–2017
निर्णय दिनांक – 31–10–2017

श्रीमती भंवरी बाई पत्नी स्व. श्री जीवा भील, निवासी दईमाता, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. सरपंच, ग्रम पंचायत सवीना, ग्रमीण पंचायत समिति गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

–रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित–

1– श्री अनुराग शर्मा – अधिवक्ता अपीलान्ट
2– श्री योगेन्द्र दशोरा – राज्य अभिभाषक

द्वितीय अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड़ अधिकारी, गिर्वा दिनांक 30.10.2015 प्रकरण संख्या 29/2013.

निर्णय

दिनांक 31.10.2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के निर्णय दिनांक 30.11.2015 प्रकरण संख्या 29/2013 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दईमाता पटवार मण्डल सवीना के नामान्तरकरण संख्या 69 दिनांक 21.02.2011 सरपंच, ग्राम पंचायत सवीना द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण में मृतक जीवा के वारिसान में श्रीमती भंवरी बाई पत्नि श्री जीवा भील का 1/24 हिस्सा एवं गीता, कालु, कमला नाबालिग लिखा

गया। जबकि नियमानुसार मृतक जीवा भील के वारिसान में अपीलान्ट भंवरी बाई के साथ गीता, कालु, कमला नाबालिग बविलायत माता श्रीमती भंवरी बाई का 3/24 हिस्सा लिखना था। कथित नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर में न्यायालय में पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत को किसी नाबालिग का संरक्षक घोषित किये जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होकर नाबालिग के संरक्षक घोषित किये जाने का अधिकार माननीय सिविल न्यायाल को होना बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 69 दिनांक 21.02.2011 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं मानते हुए अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज किये जाने का आदेश दिनांक 30.11.2015 पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख मंगाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 23.10.2017 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में बताया कि ग्राम पंचायत सवीना द्वारा जो नामान्तरकरण संखय 69 स्वीकृत किया गया है, उसमें मृतक जीवा के वारिसान में अपीलान्ट श्रीमती भंवरी बाई पत्नि श्री जीवा भील का 1/24 वां हिस्सा एवं गीता, कालु, कमला नाबालिग लिखा गया है, जबकि नियमानुसार मृतक जीवा के विधिक वारिसान में अपीलान्ट श्रीमती भंवरी बाई के साथ गीता, कालु, कमला नाबालिग बविलायत माता श्रीमती भंवरी बाई का 3/24 वां हिस्सा अंकित करना था। अधीनस्थ न्यायालय ने नाबालिग संरक्षक घोषित किये जाने के अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है, यह कथन निर्णय में अंकित करते हुए ग्राम दर्हमाता के नामान्तरकरण संख्या 69 दिनांक 21.02.2011 को ग्राम पंचायत सवीना द्वारा स्वीकृत करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं होना मानते हुए अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज किये जाने में भारी भूल की ह। अंत में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.11.2015 को निरस्त फरमाया जावें एवं ग्राम पंचायत सवीना ग्रामीण द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 69 को भी निरस्त फरमाया जाकर मुझ अपीलान्ट के साथ विधिक वारिसान गीता, कालु, कमला नाबालिग के स्थान पर गीता, कमला, कालु पिता जीवा नाबालिग बलिवायत माता भंवरी बाई का अंकन 3/24 हिस्से का किये जाने का आदेश फरमाया जायें।

विद्वान राज्य अभिभाषक ने बहस में बताया कि उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में वांछित अपेक्षित कार्यवाही करनी होती है, वह सम्पूर्ण करायी गयी एंव कानूनन न्याय के सिद्धान्त के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो सही है। उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, गिर्वा से भी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की है।

जिसमें स्पष्ट अंकन किया गया है कि उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार, गिर्वा को सम्पूर्ण जानकारी भंवरी बाई एवं कमलचन्द ने दी है एवं स्वयं अपीलान्ट द्वारा नाबालिग संरक्षक कायमी बाबत समक्ष न्यायालय में दाद प्रस्तुत है। इससे भी यह पता चलता है कि अपीलान्ट को उक्त विषय की जानकारी है कि नाबालिग संरक्षक कायमी हेतु सिविल न्यायालय में सुनवाई होती है। अतः उक्त सम्पूर्ण तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट अस्वीकार फरमायी जावें।

हमनें अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया गया। ग्राम दईमाता पटवार मण्डल सवीना के नामान्तरकरण संख्या 69 दिनांक 21.02.2011 सरपंच, ग्राम पंचायत सवीना द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण में मृतक जीवा के वारिसान में श्रीमती भंवरी बाई पत्नि श्री जीवा भील का 1/24 हिस्सा एवं गीता, कालु, कमला नाबालिग लिखा गया, जबकि नियमानुसार मृतक जीवा भील के वारिसान में अपीलान्ट भंवरी देवी के साथ गीता, कालु, कमला नाबालिग बविलायत माता श्रीमती भंवरी बाई का 3/24 हिस्सा लिखना था। यह तथ्य सही है कि अधिनस्थ न्यायालय ने नाबालिग के संरक्षक घोषित किये जाने के अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को होना मानते हुए ग्राम दईमाता के नामान्तरकरण संख्या 69 दिनांक 21.02.2011 को ग्राम पंचायत सवीना द्वारा स्वीकृत करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं मानते हुए अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज की गई। इस सम्बन्ध में राज्य अभिभाषक ने भी नाबालिग सरंक्षक कायमी हेतु सिविल न्यायालय को सुनवाई के अधिकार होना बताया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है, जिससें हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.11.2015 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा का निर्णय दिनांक 30.11.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर